बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय, पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2-पटना।

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)/2017-1258 दिनांक- 12/12/17

प्रेषक,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत मिलों का भौतिक सत्यापन करने के संबंध में।**

प्रसंगः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक-5765 दिनांक-14.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार, पटन के प्रासंगिक पत्र, जो खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति से सम्बन्धित दिशानिदेश से सम्बन्धित है, के कंडिका-iv में बिन्दु-"6" में उल्लेखित हैः-

- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य में मनोनित वरीय उपसमाहर्त्ता/जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् मिलों के चयन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मापदंड तथा मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति तथा अद्यतन बिजली बिल का भुगतान एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण प्रमाण-पत्र विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न एवं अद्यतन प्रमाण-पत्र GST No.SSI registration No. EPF registration No.PAN No., मिलरों का अंकेक्षित अद्यतन लेखा विवरणी, वैसे सभी वांछित अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित मिलरों के विरूद्ध कोई Legal Obligation न हो, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण-पत्र की जाँच एवं मिल परिसर में, छतदार भंडारण की क्षमता का व्यावहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम में विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत-प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत करानेवाले मिल से एकरारनामा नहीं की जाय। संयुक्त जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि चयनित मिलों का फोटोग्राफ एवं मैपिंग(अक्षांश/देशान्तर) भी उपलब्ध रहें। तत्पश्चात् जिला टॉस्क फोर्स द्वारा मिलरों का चयन किया जाएगा।

अनुरोध है कि उक्त दिशानिदेश के तहत संलग्न विहित प्रपत्र में मिलों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया जायगा, जिसे संज्ञान में लेकर जिला टॉस्क फोर्स द्वारा मिलों का चयन/अनुमोदन किया जायगा तथा अनुमोदित मिलों के साथ पैक्सों/व्यापारमंडल द्वारा एकरारनामा सुनिश्चित किया जायगा।

अनु0-यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

12-12

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांकः-02:15:14(अधि0)/2017- दिनांक-

प्रतिलिपिः-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को मिलों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0-यथावर्णित।

RCM-12-12-17

12-12

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

मिल के भौतिक सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र

क0	मिल का नाम	मिल मालिक का नाम एवं पूरा पता (मोबाईल नं0 सहित)	मिल का स्थल	निगम द्वारा प्रदत्त पंजीकरण सं0	उद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त मिल का पंजीकरण सं0	वैट संख्या	प्रदुषण प्रमाण पत्र सं0	मिल का भविष्य निधि पंजीकरण स0	पैन नं0	विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

लेखा विवरणी की अद्यतन स्थिति	मिल का मिलिंग (क्षमता/प्रतिघंटा)	मिल का भंडारण क्षमता	मिल के साथ सम्बद्ध अधिसूचित गोदाम का संख्या	अधिसूचित गोदाम का भंडारण क्षमता	छतदार मिल या एसबेस्टस का	पहुँच पथ की अद्यतन स्थिति	मिल बिजली से संचालित है	बिजली विपत्र के भुगतान की अद्यतन स्थिति	उर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था	अभ्युक्ति
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम
तिथि